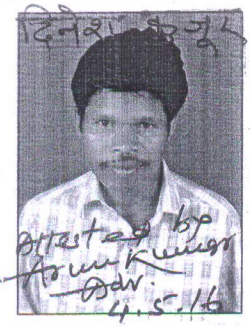

दिनेश कुजूर
4-5-16

23 I A' with the Permission
by L R.D.C. Simdega vide
case No. 323/2015-16
order dated
11-3.16

06.5.16

॥1॥ लेख्यकारी:- दिनेश कुजूर पिता श्री इरूस कुजूर जाति-
उराँव, पेशा- गृहस्थी, निवास ग्राम- सिमडेगा घोचो टोली,
थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

...... बिक्रेता ।

आधार नं0- 4641 3559 6693

शपथ-पत्र संख्या:- 159/2016

पं० सोमरा लकड़ा
पिता श्री: बिशाय लकड़ा,
ग्राम घोचो टोली सिमडेगा
थाना व जिला सिमडेगा
4.5.16

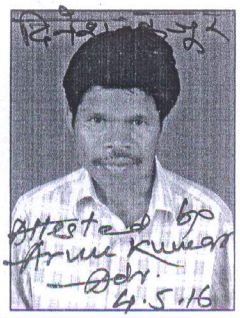

दिनेश कुमार
4-5-16
6-5-16

06-5-16 10 AM

[redacted]

दिनेश कुमार
श्री मुकुन्द कुमार
चीचीयाला सिमडेगा
[redacted]
06-5-16

[redacted]

06-5-16

(2) लेख्यधारी:- सुशील समद पिता श्री नियरन समद जाति- मुण्डा, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- अरानी सरईपानी, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

आधार नं0- 2990 8966 4984

शपथ-पत्र संख्या:- 160/2016

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के वास्ते बिक्री होता है ।

(4) मूल्य:- मो बलिग तीन लाख पचहत्तर हजार रूपया अंके 3,75,000/- रूपये होता है ।

निर्धारित मूल्य 3,80,000/- रूपये होता है ।

(5) सम्पत्ति:- एराजियात अन्दर मौजा- सिमडेगा घोचो टोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 116, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 107 (एक सौ सात) प्लॉट नं0 2079 (बीस सौ उनासी) रकबा 0.10 एकड़ (दस डिसमिल)।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का छोड़ा गया कच्चा रास्ता 5' का

दक्षिण:- इसी प्लॉट का दूसरा भाग में शशि मास्टर का हाता,

पूरब :- नीज बिक्रेता का टांड़,

पश्चिम:- भूषण लकड़ा का टांड़ ।

मालगुजारी 3 पैसा (तीन पैसा) अलावे सेस सालाना ।

वर्णित बिक्रीत जमीन आवासीय है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय है । कटि फो 16 ।

सिमडेगा कुजूर
4-5-16

10- आमोस कुजूर
पिता स्व. प्रभु कुजूर
ग्राम- डोंगाटोली सिमडेगा
थाना+जिला- सिमडेगा
दि० 4/5/2016

§1§ चुँकि मुझ लेख्यकारो को पिजाजो को बिमारो ईलाज एवं अन्य घरेलू खर्च वास्ते रूपयों को आवश्यक्ता पड़ो और इस समय बिना जमोन बेचे रूपया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारी से मेरो जमोन खरोदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने जमोन खरोदना एवं रूपये देना स्वोकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनो इच्छा से शरोर वो मन को स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमोन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कोमत चुकता पाकर बेचा वो बेचो गई जमोन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेचो गई जमोन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिक्रो को जानेवालो जमोन मेरो खतियानो जमोन है जिसके खतियानो रैयत मांगू खड़िया वो निरमल उराँव वो दयाधाम उराँव वो मेरे दादा हानुक उराँव हैं । दयाधाम उराँव नावल्द मर गये । तीनों खतियानो रैयतों के बोच जमोनों का मौखिक बँटवारा हो गया है एवं बँटवारे के अनुसार उपरोक्त वर्णित बिक्रो को जानेवालो जमोन मेरे दादा हानूक उराँव को हिस्से में मिलो । हानुक उराँव को मृत्यु हो चुको है हानुक उराँव के एकमात्र पुत्र मेरे पिताजो इरूस कुजूर हैं । मेरे पिताजो बिमार हैं । मैं अपने पिताजो का एकमात्र संतान हूँ । उपरोक्त वर्णित बिक्रो को जानेवालो जमोन को जमाबन्दो माँग उराँव वो निरमल उराँव वगैरह के नाम से चल रहो है एवं मालगुजारो रसीद कट रहो है जो रजिस्टर II के भोल्युम I पेज 158 में दर्ज है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 323/2015-16 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 11.03.2016 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 180§11§ दिनांक 11.03.2016 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर जोत कोड़कर खेती आबाद करें या मकान, शहन, कुँआ, बारी इत्यादि बनाकर, अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिए अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से वो अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामो सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वा वक्त जरूरत पर काम आवे ।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी, कैसरे हिन्द, खास महल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजरूआ से सम्बन्धित नहीं है ।

21-5-16

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन वो. ब्यत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

[illegible] कुमार
4-5-16

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी ने अपने बायें हाथ की पांचों अंगुलियों का छाप मेरे सामने दिये। सही अरुण कुमार, अधिवक्ता ता. 04.05.2016 ।

[illegible] कुमार
4-5-16

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Sushil Samad
4-5-16

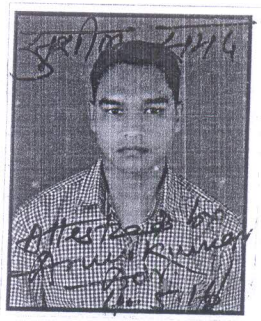

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी ने अपने बायें हाथ की पांचों अंगुलियों का छाप मेरे सामने दिये। सही अरुण कुमार, अधिवक्ता ता. 04.05.2016 ।

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- अरूण कुमार,
अधिवक्ता

(प्रारूपकर्त्ता)
तारीखः- 04.05.2016.

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 644 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित है ।

टंकक
मो० महबूब
5.5.2016
मो0 महबूब
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

अनुलग्नकः-

1. बिक्रेता, क्रेता एवं पहचानी गवाह का आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
3. परमिशन रिपोर्ट एवं आदेश का सत्यापित प्रति,
4. विलेज मैप का छायाप्रति,
5. ट्रेस मैप का मूल प्रति,
6. फोर्म नं0 1 का मूल प्रति,
7. शेड्युल का मूल प्रति,

4-5-16